न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 46/2017
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00435

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीः–

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण जिला पाली

1. भीयांराम पुत्र नैनाराम के कायम मुकाम अणचीदेवी पत्नी भींयाराम के कायम मुकाम
1/1. घेवरराम पुत्र भींयाराम
1/2. चम्पालाल पुत्र भींयाराम
1/3. प्रेमदेवी पुत्री भींयाराम
1/4. सोहनीदेवी पुत्री भींयाराम
कौम मेघवाल आसरलाई गेट ग्राम निमाज तहसील जैतारण (पाली)
2. पुखराज पुत्र भबूतराम
3. मोकली देवी पुत्री मंगलाराम
कौम मेघवाल ग्राम सांगावास तहसील जैतारण (पाली)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार उपस्थित सुरेन्द्र सिंह लबाना
एवं अधिवक्ता अप्रार्थी श्री श्याम सुन्दर पंवारिया

–:: आदेश ::–

दिनांकः–28.10.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार जैतारण द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनाँक 28.12.12 प्रकरण संख्या 65/12 तहसीलदार जैतारण बनाम चम्पालाल की पालना में प्रेषित किया है। इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी भीयाराम पुत्र नैनाराम कोम मेगवाल को उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिये आदेश राजस्व/4 दिनाँक 22.05.1971 को ग्राम निमाज के खसरा नम्बर 801/19 रकबा 10 बीघा भूमी किस्म गै.मु. नदी में आवंटन किया गया था जो पूर्व में मिसल बन्दोबस्त संवत 2012–2031 तक खाता संख्या 435 में गैर मुमकीन नदी दर्ज थी। इससे पूर्व नामान्तरकरण संख्या 401 भरा गया जिसके द्वारा भूमी को गै.मु. नदी से 155 बीघा किस्म गैर मुमकीन B-I दर्ज किया गया गै.मु. नदी से B-I उक्त भूमि की किस्म बदलना उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार जैतारण के अधिकारिता में नहीं थी उक्त भूमी को बाद में दिनांक 22.05.1971 को अप्रार्थी भीया को आवंटित कर दीया गया गैर मुमकिन नदी की भूमी आरटी एक्ट की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से न तो उसकी किस्म बदली जा सकती है न ही आंवटन किया जा सकता है। आवंटन संबन्धी आवंटी भीमाराम के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 412 दिनांक 22.05.1971 बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया उक्त सभी नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। आवंटी को गैर मुमकीन नदी किस्म की भूमी का आवंटन किया गया था जिसका बाद में आवंटी व पश्चातवृती खातेदारों ने नदी का प्रवाह अवरूद्ध किया इससे नदी की स्थिति में बदलाव आ गया उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में आवंटन पूर्व की स्थिति बहाली हेतु उक्त नामान्तरकरण निरस्त कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को [illegible]।

वकील अप्रार्थी [illegible] कि अप्रार्थी भीयाराम को पहले किस्म परिवर्तन कर [illegible] विधी सम्मत है आवंटी व पश्चातवृती खातेदारों [illegible] काश्तयोग्य बनाया [illegible] उसी पर काश्त करते है। भूमी की मौका स्थि[illegible] मंगवाने हेतु प्रार्थना [illegible] जिक्र भी किया। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त भूमी में अन्य काश्तकारों को भी आवंटन होना बताया उन्होंने वर्तमान में भूमि लीज पर देना बताते हुए कथन किया कि जैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:36:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश...........02

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थना कि प्रार्थना पत्र आराजी माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/04 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की परिधी में नहीं आता है वर्तमान में प्रवाह क्षेत्र उक्त भूमी से दूर है।नदी का प्रवाह इससे प्रभावित नहीं हो रहा है खातेदारों ने भूमी पर मेहनत कर तथा रूपया खर्च कर काबिल काश्त बनाया है इसे निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स किया जाना विधी सम्मत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटित भूमी के खसरा नम्बर 801 है जो मिसल बन्दोबस्त ग्राम निमाज संवत 2012 से 31 में सम्पूर्ण रकबा 961 बीघा 10 बीस्वा अंकन होने से स्पष्ट है।

उक्त भूमी का सन 1971 में उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा किस्म परिवर्तन कर आवंटन किया गया। उक्त भूमी आरटी एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमी होने से न तो इसकी किस्म बदली जा सकती है न ही उक्त भूमी का आवंटन किया जा सकता है तहसीलदार जैतारण की पत्रावली संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार भूमी आवंटन से खसरा नम्बर 801 किस्म गैर मुमकीन नदी के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है क्योंकि नदी की भूमी जल प्रवाह में प्रयुक्त होती है नदी की भूमी में से कृषि हेतु किस्म परिवर्तन का आवंटन किए जाने से नदी के मूल स्वरूप में परिवर्तन होने से जल के प्राकृतिक प्रवाह में रूकावट हुई है। नदी के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखने हेतु उक्त किस्म परिर्वतन कर किए गए आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनाँक 02.08.2004 की पालना भी तभी संभव है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अप्रार्थी भीयाराम पुत्र नैनाराम के हक में उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिए आदेश क्रमांक राजस्व/04 दिनांक 22.05.1971 को किए गए आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में सादिर नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 22.05.1971 एवं 412 दिनांक 22.05.1971 एवं पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 2093 दिनांक 11.06.1997 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित है रेफरेन्स स्वीकृत फरमाया जाकर उक्त आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण एवं पश्चातवृती नामान्तरकरण निरस्त फरमाकर भूमी गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराने हेतु सेवामें प्रेषित है। जिससे भूमी की आवंटन पूर्व की स्थिति बहाली की कार्यवाही की जा सके।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:36:18 IST
Reason: SelfAttested